जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 18 संख्याः 77 प्रभात चूरू, मंगलवार 14 जुलाई, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

तीन सप्ताह की छुट्टी के बाद, राहुल गांधी अपने देश लौटे

भाजपा में काफी जिज्ञासा व उत्कण्ठा है कि राहुल कांग्रेस व देश के सम्मुख प्रस्तुत गहन समस्याओं के बावजूद इतनी बेफ्रिकी से विदेश कैसे निकल जाते हैं

- राहुल गांधी ने हाल ही में इन छुट्टियों में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच देखे और स्कैण्डिनेवियन कंट्रीज में आनंदपूर्वक भ्रमण करके लौटे हैं। भाजपा का कटाक्ष है, क्या उनके आगमन के इंतज़ार में समस्याएं व मुद्दे ''कोल्ड स्टोरेज'' में शांति से ठंडी हवा खाते रहेंगे?
- कांग्रेस का खेमा जवाबी ताना मार रहा है, प्र.मंत्री ने देशवासियों को मितव्ययता और विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी, पर वे स्वयं इस परामर्श का खुला उल्लंघन करते हुए, एक के बाद एक विदेश यात्राओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।
- राजनीतिक हल्कों की चर्चाओं के अनुसार, राहुल 17 जुलाई को देहरादून जाएंगे तथा उसी के बाद, कांग्रेस पूरी तरह से हरकत में आएगी।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग तीन सप्ताह के राजनीतिक अवकाश के बाद दिल्ली लौट आए हैं। अवकाश के दौरान उन्होंने राजनीति की व्यस्तताओं से दूर रहकर फीफा विश्व कप का एक मैच देखा, स्कैंडिनेवियाई देशों की यात्रा की और कुछ समय विश्राम किया।

लेकिन, भारतीय जनता पार्टी को यह सब पच नहीं रहा है। उसने राहुल गांधी के इस विदेश दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। भाजपा सवाल उठा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के सामने मौजूद अनेक चुनौतियों के बावजूद, राहुल गांधी इतने लंबे समय तक विदेश में समय कैसे बिता सकते हैं।

कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि क्या भाजपा को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि जब देश के भीतर अनेक गंभीर समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार विदेश यात्राओं में इतना समय क्यों व्यतीत करते हैं।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े जोर-शोर से देशवासियों से अपील की थी कि वे विदेश यात्राओं से बचें, कम से कम खर्च करें और भविष्य के लिए बचत करें।

राहुल गांधी के सामने इस समय पार्टी के भीतर विभिन्न चुनौतियों के साथ-साथ, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जानी है।

इसके अलावा, कांग्रेस नेतृत्व को राजधानी दिल्ली सहित, कई राज्यों में उत्पन्न राजनीतिक और संगठनात्मक परिस्थितियों से भी निपटना है।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून का दौरा करेंगे। इसके बाद उनके अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।

सड़क दुर्घटना में कानोड गाँव के 5 युवकों की मौत

बालोतरा, 13 जुलाई (निसं)। जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर भांडियावास गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में गिड़ा क्षेत्र के कानोड़ गांव के पांच युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, कानोड़ गांव के आठ दोस्त स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर पडासला स्थित भोमियाजी के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद

- आठ दोस्त भोमियां जी के दर्शन कर स्कॉर्पियो से वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए।

सभी देर रात अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भांडियावास गांव के पास उनकी स्कॉर्पियो पहले तो एक अज्ञात वाहन से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड गए। हादसे में रेवांताराम (26) पुत्र गेनाराम जाट, स्वरूपाराम (27) पुत्र मेहराराम जाट, भरत (25) पुत्र बन्नाराम जाट, किशन (27) पुत्र शेराराम जाट तथा भावेश पुत्र कलाराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोशल मीडिया ने नितिन गडकरी व उनके परिवार को भी नहीं बख्शा

बार-बार सवाल उठ रहा है कि क्या गडकरी ने एथेनॉल मिलाने की नीति अपने पारिवारिक बिज़नैस को बढ़ाने के लिए शुरु की है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो एथेनॉल बनाने वाली बड़ी कंपनी ''सियान एग्रो इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड'' में अपने बेटे निखिल गडकरी की बड़ी हिस्सेदारी को लेकर जांच के दायरे में हैं, ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की ई-20 नीति का जोरदार बचाव किया है।

हाल के दिनों में उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ी हैं। इनमें एथेनॉल के कारण वाहन के पुर्जों में जंग लगने की आशंका, एथेनॉल की कैलोरी वैल्यू कम होने के कारण माइलेज घटने और पुराने वाहनों में आने वाली दिक्कतें शामिल हैं। विवाद तब और बढ़ गया, जब ऐसी खबरें सामने आईं कि ई-20 को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- लेकिन गडकरी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा, उनके परिवार का चीनी व एथेनॉल उद्योग से पुराना नाता है, और इस नीति से उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ है।
- गडकरी ने कहा, पैट्रोलियम लॉबी व उनके राजनैतिक विरोधी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पैट्रोल में एथेनॉल मिलाना राष्ट्रीय हित में है। इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, प्रदूषण कम होगा और गन्ना किसानों को लाभ होगा। अमेरिका, ब्राज़ील व थाइलैंड में यह नीति सफल हो चुकी है।
- विरोधी लॉबी का कहना है कि पैट्रोल-डीज़ल में एथेनॉल मिलाने की नीति चालू करने के बाद से गडकरी के पुत्र निखिल गडकरी की कंपनी सीआईएएन एग्रो की आय में भारी वृद्धि हुई है। विरोधी पक्ष का आरोप है कि पैट्रोल-डीज़ल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंज़न खराब हो रहे हैं और माइलेज घट रहा है।

.....जब शराब के ठेकेदारों का कार्टल टूटा

टूटने पर लगा, ये इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं टूटा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहने वाले किसान रक्षपाल यादव ने दो साल पहले अपनी आय बढ़ाने और कमाई के नए स्त्रोत खोजने शुरू किए। इसी दौरान उन्हें शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए एक ई-लॉटरी एप्लीकेशन के बारे में पता चला।

जब उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी देखी, तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वे आवेदन करने के योग्य हैं। उन्होंने आवेदन किया और किस्मत से उन्हें अपनी शराब की दुकान का लाइसेंस मिल गया। एक दशक पहले यह संभव नहीं था।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में शराब का लाइसैंस लेने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया और छोटे व्यवसायियों के लिए भी लाइसैंस लेने के द्वार खोल दिए।
- 2018 से पहले तक यूपी में शराब बेचने की सभी दुकानें पॉन्टी चड्ढा जैसे बड़े ठेकेदारों की मिल्कियत थीं, पर लाइसैंस प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के बाद इस प्रक्रिया में इंसानी दखलदांजी खत्म हो गई और इसमें कम्प्यूटर ही सब तय करता है।
- इससे ना केवल बड़े ठेकेदारों का कार्टल टूटा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी भारी वृद्धि हुई, इससे पहले उपभोक्ता ज्यादा पैसे देता था, पर, सरकार को मामूली राजस्व ही मिलता था।

2009 से 2018 तक उत्तर प्रदेश में ऐसी आबकारी नीति लागू थी, जिसने छोटे कारोबारियों के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। पूरे राज्य में देशी शराब का थोक कारोबार शराब कारोबारी पॉन्टी चड्ढा के वेव समूह के हाथों में था।

रक्षपाल याद करते हुए कहते हैं, ''पॉन्टी चड्ढा की दुकानें हर जगह थीं और हम जैसे छोटे लोगों को शराब के कारोबार में आने नहीं दिया जाता था।''

नई व्यवस्था के बारे में वे कहते हैं, ''अब लाइसेंस लेने के लिए किसी अफसर या नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी व्यक्ति का कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने नवम्बर तक पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताये

जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा निर्धारित करने के सम्बंध में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में नवंबर

- हाई कोर्ट में संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई आज।

तक चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, मामले में संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

राज्य सरकार की ओर से समय बढ़ाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में करीब पचास फीसदी आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब लड़ाई अमेरिका, ईरान के बीच, इज़रायल तो पिक्चर में भी नहीं

क्योंकि जंग होर्मुज़ स्ट्रेट के मसले पर है, जिसे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मार्ग मानता है, पर, ईरान इस पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर खुला युद्ध छिड़ गया है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के सैन्य एवं रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। युद्धरत पक्षों के बीच शांति समझौते और युद्धविराम को लेकर कतर में चल रही वार्ता फिलहाल ठप हो गई है।

पिछले चौबीस घंटों में अमेरिका ने ईरान के अंदरूनी क्षेत्रों में सैन्य हमले किए हैं। वहीं, ईरान का दावा है कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कहना है कि इन देशों में तैनात कई पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, तेल भंडारण केन्द्रों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

- इसी के चलते, ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़र रहे दो जहाज़ों पर हमला कर दिया। यही नहीं अन्य देशों के जहाज़ों पर ईरान के हमले में कई भारतीय नाविक मारे गए। जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की थी।
- अमेरिका ने अब ईरान के सैन्य संस्थापनों के साथ-साथ नागरिक ठिकानों पर भी हमला शुरु कर दिया है। इसके जवाब मे ईरान ने कतर, बहरीन आदि देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों व तेल के कुओं को निशाना बनाया है।

पिछले पंद्रह दिनों की घटनाओं पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमलों में चरणबद्ध तरीके से लगातार वृद्धि हुई है। वर्तमान स्थिति में दोनों देश पूरी ताकत से हमले कर रहे हैं और अमेरिका केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि नागरिक ठिकानों पर भी घातक हमले तेज करता दिखाई दे रहा है।

होर्मुज़ स्ट्रेट में अन्य देशों के जहाज़ों पर ईरान के हालिया हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों में कार्यरत कई भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों और भारतीय नाविकों की मृत्यु की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह संघर्ष मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच सीमित हो गया है, जिसमें इज़रायल की प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। टकराव का केन्द्र अब होर्मुज़ स्ट्रेट बन गया है। अमेरिका इसे एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानता है, जबकि ईरान इसे अपने राष्ट्रीय नियंत्रण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीमा के समीप बने ढांचों की जाँच होगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर बनाई गई इमारतों को हटाने से संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के नोटिस के खिलाफ कई रिट याचिकायें दायर की। इस मामले पर सुनवाई करते हुये न्यायधीश समीर जैन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह भारत की सीमा और सुरक्षा से संबंधित है और ऐसे

- हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भारत-पाक सीमा के करीब बने ढांचों को हटाने से संबंधित जाँच हेतु कमेटी बनाई जाए।

मामलों में न्याय से बढ़कर व्यावहारिक तथा और हालात जांचकर कदम उठाने चाहिये। अदालत ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स (बीएसएफ) के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित करने के आदेश दिये हैं। जो सीमावर्ती जिलो में ऐसी संवेदनशील ईमारतों को चिन्हित करे हटाने का कार्य कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस कमेटी के सदस्य देश की सुरक्षा को देखते हुए,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'न्यायधीशों ने अपना फैसला तो सुना दिया है पर उसको लागू करने के लिए अदालत को अधिकारी कहां से मिलेंगे!'

अमरीकी राष्ट्रपति एण्ड्रू जैक्सन ने यह तथाकथित टिप्पणी तब की थी जब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1832 में नेटिव अमेरिकन्स के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि वह अपनी मूल जमीन के मालिक हैं और उन्हें अपनी जमीन से निकाला नहीं जा सकता

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 13 जुलाई। जब एक मामले पर फैसला सुनाने में कई वर्ष निकल जाए तो ऐसे विलम्बित आदेश से न्याय होता है या फिर सिर्फ कानूनी पेचीदगियां ही बढ़ती है। ऐसा ही एक जनहित से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें अंतिम फैसला सुनाने में अदालत को एक दशक से भी ज्यादा लगा और फिर दिये गये फैसले को कानूनी पेचीदगियों के चलते वापस लेना पड़ा और अंततोगत्वा बिल्कुल ही विपरीत फैसला हुआ।

इससे सवाल उठता है कि अदालत के समक्ष लंबी और गहन सुनवाई के बाद भी न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि न्याय करने की प्रक्रिया में ही बहुत देरी होती है और इस देरी से न्याय का कोई अर्थ नहीं रहता।

दरअसल वर्ष 2012 में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका पेश हुई थी। यह जनहित याचिका जयपुर सांगानेर और उसके आसपास की कॉलोनियों के निवासियों द्वारा दायर की गई थी। जनहित याचिका में बड़े ही सीधे- सादे शब्दों में एक मुद्दा उठाया गया था कि सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हल्दीघाटी रोड से जोड़ने के लिए जयपुर के मास्टर प्लान में सौ फीट चौड़ी रोड दर्शायी गई है परन्तु इस सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि सड़क के किनारे और कई कई जगह पूरी सड़क पर ही अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतः याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार की थी कि वो प्रशासन को अतिक्रमण हटाने और सौ फीट रोड़ का निर्माण पूरा करने का आदेश दे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि चूंकि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और उसपर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है तो न तो उन्हें सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और न ही हल्दीघाटी रोड के लिए रास्ता मिलता है। उन्हें जयपुर टोंक हाईवे का इस्तेमाल करना पड़ता है।

मामले की अलग- अलग हुई सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि

- ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष उजागर होता हुआ दिख रहा है। यह मामला सांगानेर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हल्दीघाटी रोड को जोड़ रही सौ फीट रोड़ से संबंधित है।
- अदालत 2012 के बाद से कई बार आदेश में कह चुकी है कि मूल नक्शे के अनुसार ही सौ फीट रोड बनाई जाए और अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। यही जनहित का कार्य है।
- इन्हीं आदेशों के चलते अदालत ने जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम को 2015 में 15 महीनों की मोहलत दी थी अतिक्रमणकारियों को हटाने और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए। परन्तु, जेडीए द्वारा अतिक्रमण तो नहीं हटाया गया उल्टे अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज़ करने की कार्यवाही अवश्य 2017 तक पूरी कर ली गई।
- हालत यह है कि वर्ष 2025 में भी जेडीए पहले तो निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय मांगता रहा फिर सड़क का अलाइनमेंट बदलने के लिए निर्णय भी ले लिया। अदालत ने इस निर्णय की निंदा की और जेडीए को फटकार लगाई लेकिन फिर तकनीकी कारणों के कारण अदालत को आदेश वापस लेना पड़ा। अब नई अदालत में सुनवाई के बाद जेडीए के सड़क अदालत को रिअलाइनमेंट के फैसले को अनुमति भी दे दी गई।

उक्त सौ फीट रोड़ का निर्माण मुख्य तौर पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था और शेष बचा हुआ 30-40 प्रतिशत हिस्सा जे.डी.ए. द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2013 में ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा अदालत में माना गया कि सड़क निर्माण के लिए निर्धारित जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और वह पुलिस विभाग को तीन बार पत्र लिख चुका है कि वह अतिक्रमणकारियों को हटाने में बोर्ड की मदद करे। अदालत में इसी समय के आसपास जेडीए कमिश्नर द्वारा भी एक शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि अजय मार्ग एक्सटेंशन रोड करीबन 1.8 कि.मी. लंबी है और इसके समीप केवल डॉक्टर्स कॉलोनी और शिवपुरी कॉलोनी ही नियमित कॉलोनी हैं, अन्य पांच कॉलोनियाँ अनियमित और गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि नक्शे में उक्त सड़क की चौड़ाई सौ फीट दर्शायी गई है परन्तु वास्तविकता में कुछ जगहों पर यह केवल 3.7 मीटर से लेकर 7.5मीटर तक ही रह गई है।

इन सब तथ्यों को जानने के बाद अदालत ने वर्ष 2015 में ही जेडीए को आदेश दिये थे कि वह अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाई गई इमारतों को चिन्हित करे और साथ ही हाउसिंग बोर्ड को भी आदेश दिए गए थे कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, परन्तु ज़मीनी स्थिति बदलने और सड़क का अलाइनमेंट बदलने के कारण अदालत में तोड़ -फोड़ की कार्यवाही रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई।

मामले की पेचीदगियों को देखते हुए अदालत ने 2015 में महाधिवक्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने यह भी आदेश दिए थे कि जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और शहरी विकास विभाग मीटिंग कर इस समस्या को सुलझाएं और एक एक्शन प्लान तैयार करें। अदालत ने जेडीए को अलग से यह आदेश भी दिए थे कि वह सड़क के अलाइनमेंट बदलने के मुद्दे पर कार्य करे और 15 महीने में सड़क निर्माण का कार्य पूरा करे। दूसरी ओर उन कॉलोनियों के निवासियों द्वारा अदालत में याचिका पेश कर सड़क के अलाइनमेंट को बदलने की गुहार की गई थी, क्योंकि घरों व दुकानों के निर्माण कर लिये गये थे और उनमें से कइयों के पास पंचायत के पट्टे थे।

हैरानी की बात है कि वर्ष 2017

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK